

प्रेषक,

संख्या: 969/USDMA/792(2020) TC-2

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 04 फरवरी, 2022

विषय: विद्यालयों (शासकीय, अशासकीय एवं निजी) में कक्षा-1 से कक्षा-9 तक खोलने के सम्बन्ध में।


महोदया/महोदय,

राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 948/USDMA/792 (2020), दिनांक 31 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार बिन्दु संख्या-12 में संशोधन किया जा रहा है:-


1. राज्य में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे।
2. राज्य के विद्यालयों (शासकीय, अशासकीय एवं निजी) में कक्षा-1 से कक्षा-9 तक की कक्षाएं भौतिक रूप से (Physical Classes) दिनांक 07 फरवरी, 2022 से आरम्भ होंगी। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी किया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 07 फरवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे एवं शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,



(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी




संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,



(जितेन्द्र कुमार सोनकर)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)